भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

210

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर संभागीय ग्वालियर मध्य -प्रदेश

राजस्व प्रकरण क्रमांक निगरानी-5383/2018/छतरपुर/भू.रा. सन् 2018

1-रज्जू पुत्री हरजू लोधी पत्नी कामता लोधी

निवासी ग्राम वदियन तहसील बड़ामलहरा जिला-छतरपुरम0प्र0--

------ आवेदक/ निगरानीकर्ता

बनाम

1-जशोदा वेवा हरजू लोधी

निवासी ग्राम वदियन तहसील बड़ामलहरा जिला-छतरपुरम0प्र0

2-स्वामी तनय हरजू लोधी

निवासी ग्राम- वदियन तहसील बड़ामलहरा जिला छतरपुरम0प्र0

------------- अनावेदक

श्री ... चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 04-9-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 07-9-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-9-18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

04/09/18

निगरानीअन्तर्गत धारा50 म0प्र0भू0रा0संहिता

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग बड़ामलहरा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 99/अपील/2017-18 मेंपारित आदेश दिनांक 23.8.2018 में दूषित होकर

मान्यवर,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्न निगरानी प्रस्तुत कर सादर विनय है-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा बिना आदेश के एवं बिनप धारा 48 म0प्र0भू0रा0सं0 के आवेदन पत्र प्रस्तुत न करके अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गईथी उक्त अपील उत्तरवादी क्रं.2 से उत्तरवादीक्रं.1 से मिलकर 15.10.76 की अपील प्रस्तुत की गईथी व उक्त आदेश की नकल उत्तरवादीगणद्वारा प्राप्त नही की गई है और न ही धारा 48 म0प्र0भू0रा0सं0 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है व सन् 1976 में उक्त आदेश तहसीलदार महोदय के यहां न्यायालय मेंप्रकरण में विचारण होने के कारण आदेश पारित कर दिये गये है । जिसकी जानकारी उत्तरवादी उत्तरवादी क्रं..1व2 को भलीभांति थी क्योकिं निगरानीकर्ताके पिता ने निगरानीकर्ता को अपने पास रख लिया था व अपने जीवनकाल में निगरानी कर्ता एवं उत्तरवादीक्रं.2 जो उस समय नाबालिग था उसका संरक्षक उत्तरवादी क्रं.1 को

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5383/2018/छतरपुर/भू.रा. रज्जू विरूद्ध जशोदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बड़ामलहरा जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 99/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 23-08-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 18/2/2019 (आर.के. जैन) सदस्य	